




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head of Institution DEO Rewari (Rewari) [4096]

Principal GSSS Kharkhara (Rewari) [2490]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 DEO Rewari (Rewari) [4096]	Construction/Repair <i>inter locking Tiles</i>	44000.00
2 GSSS Kharkhara (Rewari) [2490]	Construction/Repair <i>of B.wall</i>	429000.00
	कुल राशि	473000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादि क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी।
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Padla (Kaithal) [4745]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Padla (Kaithal) [4745]	Construction/Repair of B/wall	673600.00
	कुल राशि	673600.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
- 4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय


www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Kanipla (Kurukshetra) [2446]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kanipla (Kurukshetra) [2446]	Construction/Repair नई बिल्डिंग	493000.00
	कुल राशि	493000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
- 4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Ellenabad (Sirsa) [3051]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Ellenabad (Sirsa) [3051]	Construction/Repair of 6/units	790000.00
	कुल राशि	790000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलावली//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Kandela (Jind) [1559]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kandela (Jind) [1559]	Construction/Repair of 6/2014	499000.00
	कुल राशि	499000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृश्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के सदंर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जीद
- 4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 विद्या, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Principal GGSSS Panchkula (Sector 15) (Panchkula) [3705]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Panchkula (Sector 15) (Panchkula) [3705]	Construction/Repair	532000.00

कुल राशि


532000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकुला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 विद्या, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 समसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Dhanana (Bhiwani) [343]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dhanana (Bhiwani) [343]	Construction/Repair of B/wall	517000.00
	कुल राशि	517000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

समरो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Atterna (Sonipat) [3437]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Atterna (Sonipat) [3437]	Construction/Repair	448000.00


कुल राशि 448000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 लजसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Ambala City (Prem Nagar) (Ambala) [9]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ambala City (Prem Nagar) (Ambala) [9]	Construction/Repair <i>of School Building</i>	665000.00
	कुल राशि	665000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 लमसो भा ज्योतिर्मय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Jandli Kalan (Fatehabad) [3279]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Jandli Kalan (Fatehabad) [3279]	Construction/Repair of Spall	490000.00
	कुल राशि	490000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 विद्या, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 लमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Nuh (Mewat) [800]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Nuh (Mewat) [800]	Construction/Repair of B/wall	363000.00
	कुल राशि	363000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के सदर्थ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात।
- 3 जिला खजाना अधिकारी मेवात
- 4 उप खजाना अधिकारी, नूह (मेवात)/फिरोजपुर झिरका/पुनहाना (मेवात)/तावडू (मेवात) / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

विभाग, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentसमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Panipat (Weavers Colony) (Panipat) [2042]

Principal GSSS Nohra (Panipat) [2038]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Panipat (Weavers Colony) (Panipat) [2042]	Construction/Repair of Ground	130300.00
2 GSSS Nohra (Panipat) [2038]	Construction/Repair of B/wall	196000.00
	कुल राशि	326300.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

 समसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Amadapur (Jhajjar) [3190]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Amadapur (Jhajjar) [3190]	Construction/Repair of School	353000.00
	कुल राशि	353000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर
- 4 उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
- 6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 समस्तो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

 Principal GSSS Pehrawar (Rohtak) [2748]
 Head Master GHS Garhi Balab (Rohtak) [2807]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Pehrawar (Rohtak) [2748]	Construction/Repair of B/wall	276000.00
2 GHS Garhi Balab (Rohtak) [2807]	Construction/Repair of B/wall	114900.00
	कुल राशि	390900.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक।
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Karota (Mahendergarh) [3938]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Karota (Mahendergarh) [3938]	Construction/Repair <i>of B/wall & clay ground</i>	381000.00
	कुल राशि	381000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़।
- 3 जिला खजाना अधिकारी नारनौल
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
समयो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Ghoran Bibipur (Yamuna Nagar) [272]

Principal GSSS Bhatoli (Yamuna Nagar) [282]

Head of Institution DEO Yamuna Nagar (Yamuna Nagar) [4610]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Ghoran Bibipur (Yamuna Nagar) [272]	Construction/Repair of B/wall	88000.00
2 GSSS Bhatoli (Yamuna Nagar) [282]	Construction/Repair of B/wall	202000.00
3 DEO Yamuna Nagar (Yamuna Nagar) [4610]	Construction/Repair of Building	115000.00
	कुल राशि	405000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जगाधरी
- 4 उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Kherki Daula (Gurgaon) [859]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kherki Daula (Gurgaon) [859]	Construction/Repair of main Gate	291000.00
	कुल राशि	291000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त गुड़गांव।
- 3 जिला खजाना अधिकारी गुड़गांव
- 4 उप खजाना अधिकारी, पटोदी/सोहना/फारूख नगर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
समसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Kamalpur (Karnal) [5595]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Kamalpur (Karnal) [5595]	Construction/Repair of B/wall	384000.00
	कुल राशि	384000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Khandawali (Faridabad) [5958]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Khandawali (Faridabad) [5958]	Construction/Repair of B/wall	470000.00
	कुल राशि	470000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, बल्लबगढ़ / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



विद्या, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Barwala Anaj Mandi (Hisar) [1428]

Head Master GHS Badchapper (Hisar) [1269]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Barwala Anaj Mandi (Hisar) [1428]	Construction/Repair <i>for balance work</i>	50000.00
2 GHS Badchapper (Hisar) [1269]	Construction/Repair <i>of School</i>	482000.00
	कुल राशि	532000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके पत्र कमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GGHS Deeghot (Palwal) [1049]

यादी क्रमांक 2/22-2014 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 28/03/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2014-2015 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/22-2014-निर्माण(1) दिनांक 28.03.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Deeghot (Palwal) [1049]	Construction/Repair of B/wall & main gate	523200.00
	कुल राशि	523200.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलट्रेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर व करवाये गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा ।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2014-15 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 28.03.2015

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।